

ख हक

हक या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर कर

यदि य कार्यवाही
 अथवा जो हक
 हक की कार्यवाही
 में जारी हक

03⁰⁴/₁₉ पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण
 उपरोक्त प्रकरण में बहस वकील वादीगण
 सुनी गई। वास्तु में आदेश पत्रावली दिनांक
 12-04-2019 को पेश है।

12⁰⁴/₁₉ पत्रावली वास्तु में आदेश आज पेश
 हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील
 वादीगण ने परबद्ध बहस निवेदन किया कि
 विवादित भूमियां वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 का
 उ के दादा/पड़दादा का ही पैतृक भूमियां हैं।
 लाहू की हलु प्रथम सैटलमेंट से पूर्व ही
 पुकी है। लाहू की हलु पर कर्ता जानपल
 होने के कारण विवादित भूमि प्रेले में उ के
 नाम दर्ज हो गई। मौके पर 1/4 - 1/4 हिस्सा
 बांट रखा है। विवादित पक्षकार उ मध्य
 राजीनामा होकर माननीय न्यायालय हाजिर हुक
 तस्वीर किया जा चुका है। अतः मुलाखि राजी-
 नामा दावा टिकी करमाया जावे।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध
 राजस्व रेकॉर्ड, राजीनामा एवं पेशकृता शपथ
 पत्रों का अवलोकन किया गया। उक्ति विवादित
 पक्षकार उ मध्य विवादित भूमियों बाबत
 राजीनामा होकर न्यायालय हाजिर हुक तस्वीर
 किया जा चुका है। अतः वादीगण का दावा बरकर
 राजीनामा स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती
 है कि :-

आदेश

तन ग्राम कांसरदा तहसील खोला जिला लखीम
 (राज) अवस्थित कृषि भूमि क्र. नं. 261,
 862/674 रकबा 1.19 है में से 4/20 हिस्सा
 का वादी सं. 1 का 4 से बहिष्ता बराबर का,
 1/20 हिस्सा का वादी सं. 5 का 8 से बहिष्ता
 बराबर जातेदार काइतकार घोषित किया जाये
 है तथा उक्त 1/4 हिस्सा से प्रतिवादी सं. 1 का
 उ व हलु मुनेश पुत्र मंगाराम का नाम

आ
 ना

हजफ़ छिया जारा है। उकलानुकार राजस्व
रेकार्ड में अमल दरामद हो तथा तशुनुकार
प्रकरण में पर्चा डिकी भुलीव हो। फमावकी
कैमल शुमार होकर नम्बर नि कुम हो तथा
बाद तकमील काखिल दफतर हो। निवधिपुले
वपामालय में सुनाया गया।



उकलानुकार
राजस्व (राज्य)

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम खखेला (सीडर)

व इजलास श्री महीपाल सिंह, RAS

① श्रीबूराम ② अमरचन्द * बनाम ① झाबनमल ② सरदारमल *
दावा बाबत जोधणा व न्याय निवेशना

मुकदमा नं. 102 सन् 2019

यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कतई रूबरू श्री महीपाल सिंह, RAS

व हाजिरी श्री भजनाराम हउ गिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री वसन्त कुमार कर्मा हउ

गिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुबन दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि


तन ग्राम कंसरया तहसील खखेला जिला सीडर (राज) स्थित
कृषि भूमि खर्चा नं 261, 262/674 रकबा 1.19 हे० में ते 4/20
दिनांक का वादी सं० 1 ता 4 को बहिना कराबर का, 1/20 दिनांक
का वादी सं० 5 ता 8 को बहिना कराबर कातेदार काशतकार *

गिन X मुबलिन X बाबत X

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह X फीसदी काबना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक X का अदा करें।

वसन्त मेरे दस्ताखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 04 सन् 2019 को

खर्चा की गई।



दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा खखेला (सीडर)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
	मीजान			मीजान	

1 खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेल का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो वा नहीं, दर्ज करना पतिये।

✱ पुत्रगण गोपी

① ~~हरलाल~~

② शंकरलाल ③ हरलाल पुत्रगण गोपी

④ रामलाल ⑤ सुरेशचन्द्र ⑥ भीनाराम

⑦ सुरजप्रसाद लमना पुत्रगण सुंदराराम पौत्रगण गोपी

लमना जाति मेघवंशी (बलाई) निवासी सौंथलिपां
तहसील खंडेला जिला सीकर (राज.)

- (प्रादीगण)

सुभाम

✱ पुत्रगण सुंदराराम

① लच्छी पत्नी सुंदराराम

लमना जाति मेघवंशी (बलाई) निवासी सौंथलिपां
तहसील खंडेला जिला सीकर (राज.)

② भूमिधारी तहसीलदार खंडेला

(प्रतिवादीगण)

✱ घोषित किया जाता है कि उक्त 1/4 हिस्सा के
प्रतिवादी संख्या 3 व मूल सुभाम पुत्र सुंदराराम
का नाम हजफ किया जाता है। उक्त सुभाम
रेकर्ड में अमल परामर्श है।



12/4/19
उपसहायक अधिकारी
खंडेला (सीकर)